न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 180 / 2013

1. लालसिंह
2. महेन्द्रराम
3. सरवणराम
4. मींरा
5. जंगीरकौर

पिसरान किशनाराम जाति बावरी निवासीगण 58 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।

—अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्व आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन घड़साना मु0 अनूपगढ दिनांक 30.06.1982

उपस्थितिः–

श्री सुशीलकुमार गोदारा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 23.04.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन घड़साना मुकाम अनूपगढ़ ने अपीलांट के पिता को दिनांक 18.06.1976 को 13 बीघा भूमि के आवंटन का पात्र मानते हुए दिनांक 04.07.1981 को चक 1 आर.एस.एम. के पत्थर नम्बर 93/52 में 13 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। उक्त आवंटन को दिनांक 30.06.1982 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि आवंटी द्वारा बावजूद सूचना प्राप्त किये कब्जा प्राप्त नहीं किया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। 23/4/18

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के पिता को भूमिहीन होने के नाते विवादित भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट या उनके पिता को नोटिस की कोई तामील नहीं हुई। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः निवेदन है कि अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। विवादित भूमि अन्य को आवंटन हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को वैकल्पिक आवंटन करने के आदेश दिये जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। आवंटी द्वारा आवंटन के पश्चात् विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया जिसकी सूचना समाचार पत्र में दी गई। उसके बावजूद भी आवंटी द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपील अधी.न्यायालय आवंटन अधिकारी सहायक आयुक्त उपनिवेशन घड़साना के निर्णय दिनांक 30.06.1982 के विरूद्ध पेश की है जिसमें आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट ने आवंटित भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं करने से आवंटन निरस्त किया गया है जबकि अपीलांट के पिता को कब्जा प्राप्त करने का नोटिस नहीं दिया गया। अतः निरस्ती आदेश अपास्त करने का अनुतोष चाहा।

अधी0न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपील अधी.न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.07.2013 को 31 वर्ष बाद पेश की है। अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसके बिन्दु संख्या 2 में अंकित किया है कि निर्णय दिनांक 30.06.1982 की जानकारी चक में किसी काश्तकार द्वारा कुछ रोज प्राप्त हुई, प्रार्थना पत्र में जानकारी देने वाला चिन्हिकृत (indentified) नहीं है तथा सूचना प्राप्त होने की तिथि अज्ञात है, जो मियाद

23/4/18

अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानुसार अपीलींट Inordinate delay का कारण का पर्याप्त आधार नहीं देने तथा न्यायालय को विलम्ब के कारणों बाबत संतुष्ट नहीं करने से अपील तकनीकी आधार मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/4/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर